न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0), सोनभद्र।

उपस्थित–श्री सन्त राम (एच0जे0एस0),

सत्र परीक्षण संख्या–09/2017,

राज्य **बनाम** जिल्लू यादव उर्फ इन्द्रजीत यादव।

थाना–पन्नूगंज, जिला सोनभद्र।

<u>आरोप</u>

मैं, सन्त राम, अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0, सोनभद्र आप अभियुक्त जिल्लू यादव उर्फ इन्द्रजीत यादव को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ।

प्रथम– यह कि दिनॉक 28.06.2016 को समय करीब 02:30 बजे रात्रि में बहद स्थान पीड़िता का घर स्थित ग्राम पकरहट, अन्तर्गत थाना पन्नूगंज, जिला सोनभद्र में आप उपहति, हमला व सदोष अवरोध के भय में पीड़िता को डालने की तैयारी के पश्चात् पीड़िता के घर में घुस कर गृह अतिचार किया था। इस प्रकार ऐसा कार्य करके आपने धारा–452 भारतीय दंण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध किया है। जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनॉक, समय व स्थान पर आपने पीड़िता के घर में घुस कर उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती बलात्कार किया था। इस प्रकार ऐसा कार्य करके आपने धारा–376 भारतीय दंण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध किया है। जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक–20.01.2018

(सन्त राम)
अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0),
सोनभद्र।

उपरोक्त आरोप अभियुक्त को पढ़ कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया और परीक्षण की मॉग की।

दिनॉक–20.01.2018

(सन्त राम)
अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0),
सोनभद्र।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0), सोनभद्र।

उपस्थित–श्री सन्त राम (एच0जे0एस0),

सत्र परीक्षण संख्या–09/2017,

राज्य **बनाम** जिल्लू यादव उर्फ इन्द्रजीत यादव।

थाना–पन्नूगंज, जिला सोनभद्र।

<u>आदेश</u>

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को आरोप के स्तर पर सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का भली–भॉति अवलोकन किया गया। अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से अभियुक्त जिल्लू यादव उर्फ इन्द्रजीत यादव के विरूद्ध धारा–452, 376 भारतीय दंण्ड संहिता के तहत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार पाया जाता है। तद्नुसार उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं में आरोप विरचित किया जाता है। अभियोजन पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना साक्ष्य दिनॉक 26.02.2018 को प्रस्तुत करें।

दिनॉक–20.01.2018

(सन्त राम)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0),
सोनभद्र।